राजेन्द्र और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

17 दिसंबर, 2003

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जे.जे.]

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 - धारा 8, 20 (बी) (1), 42, 43, 50, 55 और 57-रेलवे प्लेटफॉर्म पर आरोपी व्यक्तियों के सूटकेस से जब्त किया गया "गांजा"-चाहे धारा 42 लागू हो -धारा 42 के आवेदन के लिए, अध्याय IV के तहत किसी भी अपराध का करना या दस्तावेजों को छिपाना आदि किसी भी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में होना चाहिए-तथ्यों के आधार पर, हालांकि धारा 42 के अनुसार कोई आवेदन नहीं था, फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 42 (2) का अनुपालन किया गया था -चाहे धारा 50 लागू की गई हो-धारा 50 केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज के मामले में लागू होती है न कि उसकी खोज के मामले में।परिसर, वाहन या लेख-तथ्यों पर, धारा 50 आकर्षित नहीं होती है और इसलिए इसके प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

अभियोजन का मामला यह था कि 31.3.2001 इंस्पेक्टर ए, पीडब्लू-10 पर जानकारी मिली कि दो आरोपी व्यक्ति, आर और के, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने सूटकेस और थैलों में प्रतिबंधित वस्तु (गांजा) ले जा रहे थे और यह जानकारी उनके द्वारा विधिवत दर्ज की गई थी। इसके बाद, वह अपने कर्मचारियों के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर गया और दोनो आरोपी व्यक्तियों के सूटकेस की तलाशी लेने पर उसमें 40 किलोग्राम "गांजा" मिला जिसे जब्त कर लिया गया और जब्ती ज्ञापन तैयार किए गए। जब्त वस्तुओं को मलखाना में सीलबंद स्थिति में रखा गया था।जब्त की गई वस्तुओं के नमूने भी लिए गए और सील कर दिए गए और मुहर के नमूने के साथ विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए, और अभियोजन मामले का समर्थन करने वाली रिपोर्ट भी प्राप्त प्रयोगशाला से की गई। पीडब्लू-10 ने 1.4.2001 को वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों को तलाशी और जब्ती की पूरी रिपोर्ट भी भेजी।

विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 की धारा 20 (बी) {1) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया, जिसे अपील में उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। इसलिए, आरोपी व्यक्तियों द्वारा यह अपील की गई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि धारा 42 का उल्लंघन किया गया था क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां भेजने का कोई सबूत नहीं था; यह अधिनियम की धारा 50 का भी उल्लंघन था क्योंकि तलाशी लेने से पहले आरोपी व्यक्तियों को निर्धारित प्राधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने के उनके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया था; और यह कि अधिनियम की धारा 55 और 57 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया गया:

1. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, इस संबंध में विधिवत रूप से सशक्त कुछ अधिकारियों को किसी भी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने में सक्षम बनाता है।

बिना किसी वारंट या प्राधिकरण के उसमें उल्लिखित उद्देश्य के तहत। धारा 42 "भवन, परिवहन या संलग्न स्थान" से संबंधित है जबकि धारा 43 सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है। धारा 42 में दो घटक शामिल हैं। एक जानकारी के आधार से संबंधित है अर्थात (i) व्यक्तिगत ज्ञान से (ii) व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में ली गई जानकारी। दूसरा यह है कि जानकारी अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध करने और/या किसी भी भवन, परिवहन या परिवहन में दस्तावेज़

या वस्तु को रखने या छिपाने से संबंधित होनी चाहिए। परिवेष्टित स्थान जो ऐसे अपराध के होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। जब तक दोनों घटक मौजूद नहीं हैं तब तक धारा 42 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। उपधारा (2) यह आदेश देती है कि जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है इसके परंतुक के अनुसार, वह तुरंत इसकी एक प्रति अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को भेजेगा। इसलिए, उप-धारा (2) केवल लागू होती है। जहां संबंधित कार्यालय सूचीबद्ध कार्य करता है, यदि अध्याय IV के तहत कोई अपराध किया गया है या दस्तावेज आदि किसी भवन, परिवहन या संलग्न स्थान में छुपाए गए हैं। इसलिए, कार्य को अंजाम देना या दस्तावेज़ आदि को छिपाना किसी भवन, परिवहन या संलग्न स्थान में होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सबूतों का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि धारा 42(2) का अनुपालन इस अर्थ में किया गया था कि अपेक्षित दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए थे, हालांकि धारा 42 का तथ्यों पर कोई लागू नहीं था। मामला। (992-सी-डी, जी-एच; 993-ए-डी)

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [1999] 6 एस. सी. सी. 172 और पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह, [1994] 3 एस. सी. सी. 299 का पालन किया।

2. धारा 50 को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज के मामले में लागू होता है। इसका विस्तार किसी वाहन या पात्र या थैले या परिसर की तलाशी तक नहीं है। धारा 50 की भाषा इतनी \स्पष्ट है कि खोज किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए परिसर, वाहनों या वस्तुओं की खोज के विपरीत। चूँकि तलाशी थैलों की थी, व्यक्तियों की नहीं। धारा 50 का कोई अनुप्रयोग नहीं है और उच्च न्यायालय अपने निष्कर्षों में सही था। [994 - ए-बी-सी]

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [1999] 6 एस. सी. सी. 172, का पालन किया।

कलेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य जे. टी. (1999) 8 एससी 293, गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य, [2001] 3 एस. सी. सी. 28 और मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2003) 6 सुप्रीम 382, पर निर्भर था।

3. विचारण अदालत ने गवाहों के साक्ष्य का हवाला दिया है और अभिनिर्धारित किया कि वस्तुओं को मलखाना में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था और मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक आदेशों के बाद रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था और इसलिए, धारा 55 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया था। धारा 57 तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तारी और जब्ती की सूचना देने से संबंधित है। सबूत बताते हैं कि ऐसा ही किया

गया है। हस्तक्षेप के लिए धारा 55 और 57 के अनुपालन के संबंध में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में कोई कमजोरी नहीं है। [994 -ई-एफ]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 633/ 2003

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.11.2002 से जो कि आपराधिक अपील संख्या 1271/2001 में पारित किया गया।

अपीलार्थियों के लिए प्रगति नीखरा और बी. के. सतीजा।

प्रतिवादियों के लिए आर. पी. गुप्ता, बिनोद एन. तिवारी और सुश्री कामाक्षी एस. महलवाल।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधिपति अरिजीत पासायत

अपीलकर्ताओं को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 (बी)(1) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा (संक्षेप में 'प्रत्येक को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई) विद्वान विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) भोपाल द्वारा डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 3 साल की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च

न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए पृष्ठभूमि तथ्य निम्नलिखित हैः

31.3.2001 को, जब इंस्पेक्टर अजय सिंह बिसेन (पीडब्लू-10) जी. आर. पी. पुलिस स्टेशन भोपाल में ड्यूटी करते हुए तैनात थे, उन्हें सूचना मिली कि दो लोग मध्य प्रदेश एक्सप्रेस से उतरे हैं और सूटकेस और बैग के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुली का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वे प्रतिबंधित वस्तु (गांजा) ले जा रहे थे। यह जानकारी उनके द्वारा दर्ज की गई थी (एक्स. पी.-25) और उसके बाद, वह प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने कर्मचारियों के साथ उस स्थान पर गए। उन्होंने सूटकेस और थैलों के साथ अपील करने वालों को खड़ा पाया। अपीलार्थी सं. 1 राजेंद्र के सूटकेस की तलाशी पर उसमें 23 किलोग्राम "गांजा" मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। इसी तरह, अपीलार्थी सं. 2 कालीचरण के थैले की तलाशी उसमें 17 किलोग्राम "गांजा" मिला, जिसे भी जब्त कर लिया गया। पीडब्लू-10 ने जब्ती ज्ञापन (एक्सएच पी-5 और पी-8 क्रमशः) तैयार किए। उन्होंने 25 ग्राम के नमूने लिए और उसी पर मुहर लगा दी। पंचनामा का नमूना एक्स पी-7 है। जब्त की गई वस्तुओं को मलखाने में सीलबंद स्थिति में रखा गया था। पीडब्लू-10 ने सीलबंद नमूनों को सील के नमूने के साथ 12.4.2001 को फोरेंसिक विज्ञान

प्रयोगशाला सागरवाइड एक्सएच पी-23 को भेजा था और प्रयोगशाला की रिपोर्ट एक्सएचपी-29 है। पीडब्लू-10 ने एक्सएचपी-28, दिनांक 1.4.2001 के अनुसार वरिष्ठ रेलवे पुलिस को खोज और जब्ती की पूरी रिपोर्ट भेजी। के. बरसैया (पीडब्लू-3) को पुलिस स्टेशन, राजकीय रेलवे पुलिस, भोपाल में मालखाना मोहर्रिर के रूप में तैनात किया गया था। 31.3.2001 को, अपीलकर्ताओं से जब्त किए गए सूटकेस और बैग के साथ जब्त "गांजा" और नमूना पैकेट को सीलबंद हालत में मालखाने में जमा कर दिया गया था।

प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा रखते हुए, विचारण न्यायालय ने दोषी ठहराया और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सजा सुनाई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील से कोई राहत नहीं मिली।

अपील के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 42 और 50 का उल्लंघन हुआ था। जैसा कि अधिनियम की धारा 42(2) में अनिवार्य है, वरिष्ठ अधिकारी को समर्थन का कोई सबूत नहीं था। तलाशी लेने से पहले अभियुक्त व्यक्तियों को निर्धारित प्राधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने के उनके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया था। धारा 55 और 57 की आवश्यकताओं का भी अनुपालन नहीं किया गया था।

दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि विचारण अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, कोई उल्लंघन नहीं है और आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है धारा 42 और 50 की आवश्यकताओं को कई मामलों में निपटाया गया है, विशेष रूप से एक संविधान पीठ द्वारा पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [1999] 6 एस. सी. सी 172 पैरा 17 में पहले के निर्णय में पंजाब राज्य बनाम सुखबीर सिंह, [1994] 3 एस. सी. सी. 299 को पैरा 25 में उद्धृत और अनुमोदित किया गया था। हम निष्कर्षों (2-सी) और (3) से संबंधित हैं जो इस प्रकार हैंः

"(2 - ग) धारा 42 (1) के तहत सशक्त अधिकारी के पास यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई पूर्व सूचना है, तो उसे अनिवार्य रूप से लिखित रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके पास व्यक्तिगत जानकारी से यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय IV के तहत अपराध किए गए हैं या ऐसी सामग्री जो ऐसे अपराधों के होने का सबूत दे सकती है, किसी भी भवन आदि में छिपी हुई है, तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच वारंट के बिना गिरफ्तारी या तलाशी ले सकता है और यह प्रावधान यह अनिवार्य नहीं करता है कि उसे अपने विश्वास के कारणों को दर्ज करना चाहिए। लेकिन धारा 42 (1) के प्रावधान के तहत यदि ऐसे अधिकारी को सूर्यास्त

और सूर्योदय के बीच इस तरह की खोज करनी है, तो उसे अपने विश्वास के आधार को दर्ज करना होगा।

(3) धारा 42(2) के तहत ऐसा अधिकार प्राप्त अधिकारी जो किसी भी जानकारी को लिखित रूप में लेता है या धारा 42(1) के प्रावधान के तहत आधार को रिकॉर्ड करता है, उसे तुरंत उसकी एक प्रति अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को भेजनी चाहिए। यदि इस प्रावधान का पूरी तरह से गैर-अनुपालन होता है तो इसका असर अभियोजन के मामले पर पड़ता है। उस सीमा तक यह अनिवार्य है। लेकिन अगर देरी हुई है तो क्या यह अनुचित था या इसे समझाया गया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न होगा।"

धारा 42 प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है। प्रावधान इस प्रकार है:

"42. वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति। - (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया या किसी अन्य विभाग का कोई भी ऐसा अधिकारी (जो चपरासी, सिपाही या सिपाही से उच्च पद का अधिकारी हो) केंद्र सरकार या सीमा सुरक्षा बल का विभाग जो केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, या राजस्व, मादक पदार्थ नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा

अधिकारी (जो चपरासी, सिपाही या सिपाही से उच्च पद का अधिकारी हो) जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त है, यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी या जानकारी से विश्वास करने का कारण है और लिखित रूप में लिया गया है, कि कोई मादक पदार्थ, या मनोदैहिक पदार्थ, जिसके संबंध में अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के होने का सबूत दे सकती है, रखी जाती है या किसी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में छिपाकर, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच,

(क) ऐसी किसी भी इमारत, वाहन या स्थान में प्रवेश करें और उसकी तलाशी लें;

(ख) प्रतिरोध के मामले में, किसी भी दरवाजे को तोड़ें और ऐसे प्रवेश के लिए किसी भी बाधा को दूर करें;

(ग) ऐसी दवा या पदार्थ और उसके निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री और कोई अन्य वस्तु और कोई जानवर या वाहन जिसे उसके पास यह मानने का कारण है कि वह इस अधिनियम के तहत ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है और कोई भी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो उसके पास विश्वास करने का कारण है, किसी भी अपराध के होने का सबूत प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी नशीली दवा या पदार्थ से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय; और

(घ) हिरासत में लें और तलाशी लें, और यदि वह उचित समझता है, तो किसी को भी गिरफ्तार करें। व्यक्ति जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसी नशीली दवाओं से संबंधित अध्याय IV के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है या

बशर्ते कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि साक्ष्य छुपाने का अवसर दिए बिना या किसी अपराधी के भागने की सुविधा दिए बिना तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह किसी भी समय ऐसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है। अपने विश्वास के आधारों को दर्ज करने के बाद सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच।

(2) जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या उसके परंतुक के तहत अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है, तो वह तुरंत उसकी एक प्रति अपने आधिकारिक वरिष्ठ तत्काल कार्यालय को भेजेगा।

धारा 42, जैसा भी मामला हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकार प्राप्त कुछ अधिकारियों को बिना किसी वारंट या प्राधिकरण के किसी भी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में उल्लिखित उद्देश्य के लिए प्रवेश करने और तलाशी लेने में सक्षम बनाती है। धारा 42 "भवन, परिवहन या संलग्न स्थान" से संबंधित है जबकि धारा 43

सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है। धारा 42 की उप-धारा (1) के तहत अपनाई जाने वाली विधि और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि संबंधित अधिकारी के पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी से विश्वास करने का कारण है और उसने लिखित रूप में लिया है कि कोई भी मादक पदार्थ या पदार्थ जिसके संबंध में अधिनियम के अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध किया गया है या कोई अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के होने का सबूत दे सकती है, उसे किसी "भवन या वाहन या संलग्न स्थान" में रखा या छुपाया जाता है, तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) में उल्लिखित कार्य कर सकता है।

परंतुक तब लागू हुआ जब ऐसे अधिकारी के पास यह मानने का कारण हो कि बिना शर्त के तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भागने वाले अपराधी के लिए साक्ष्य या सुविधा को छिपाने का अवसर, वह अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसी इमारत, वाहन या संलग्न स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है। धारा 42 में दो घटक शामिल हैं। एक जानकारी के आधार से संबंधित है अर्थात (i) व्यक्तिगत ज्ञान से (ii) व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित रूप में ली गई जानकारी। दूसरा यह है कि जानकारी होनी चाहिए अध्याय IV के तहत दंडनीय अपराध करने और/या

किसी भवन, वाहन या संलग्न स्थान में दस्तावेज़ या वस्तु को रखने या छिपाने से संबंधित है जो इस तरह के अपराध के घटित होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। जब तक दोनों घटक मौजूद नहीं हैं तब तक धारा 42 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

उप-धारा (2) आदेश जैसा कि बलदेव सिंह के मामले (सुप्रा) में उल्लेख किया गया था कि जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या प्रावधान के तहत अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है, वह करेगा तुरंत उसकी एक प्रति अपने निकटतम अधिकारी को भेजें। इसलिए, उप-धारा (2) केवल तभी लागू होती है जहां संबंधित अधिकारी सूचीबद्ध कार्य करता है, यदि अध्याय IV के तहत कोई अपराध किया गया है या दस्तावेज आदि किसी भवन, वाहन या संलग्न स्थान पर छुपाए गए हैं। अत: कृत्य को अंजाम देना या दस्तावेज आदि को छुपाना किसी भवन, वाहन या संलग्न स्थान पर होना चाहिए।

विचारण अदालत और उच्च न्यायालय ने सबूतों का विश्लेषण करने के बाद यह अभिनिर्धारित करने के लिए आते हैं कि धारा 42 (2) का अनुपालन इस अर्थ में किया गया था कि अपेक्षित दस्तावेज वरिष्ठ अधिकारी को भेजे गए थे, हालांकि स्वयं धारा 42 का मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं था। हालाँकि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करने की कोशिश की कि वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों की

प्रतियाँ भेजने के बारे में कोई निश्चित सबूत नहीं है, फिर भी विचारण अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य के विश्लेषण को देखते हुए, हमें याचिका में कोई सार नहीं मिलता है कि धारा 42 (2) का उल्लंघन किया गया था।

जहाँ तक धारा 50 के गैर-अनुपालन का संबंध है, उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

"50. शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी।-(1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तो वह, यदि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक देरी के बिना धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएं।

(2) यदि ऐसी मांग की जाती है, तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह उसे राजपत्रित के सामने नहीं ला सके। उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या मजिस्ट्रेट।

(3) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसा कोई लाया गया व्यक्ति, यदि वह तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत आरोपमुक्त कर देगा, लेकिन अन्यथा यह निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) एक महिला के अलावा किसी भी महिला की तलाशी नहीं ली जाएगी।

जैसा कि मौजूदा मामले में तलाशी बैगों की थी, व्यक्तियों की नहीं, धारा 50 का कोई उपयोग नहीं है और उच्च न्यायालय अपने निष्कर्षों में सही था।

धारा 50 को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में ही लागू होती है। इसका विस्तार किसी वाहन या कंटेनर या बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। (देखें कालेमा तुम्बा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, जेटी (1999) 8 एससी 293, बलदेव सिंह का मामला (सुप्रा), गुरबक्स सिंह बनाम हरियाणा राज्य, [2001] 3 एससीसी 28)। धारा 50 की भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि तलाशी परिसर, वाहनों या वस्तुओं की तलाशी के विपरीत किसी व्यक्ति के संबंध में होनी चाहिए। इस स्थिति को बलदेव सिंह के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा संदेह से परे सुलझा लिया गया था। स्थिति के ऊपर, अधिनियम की धारा 50 के गैर-अनुपालन के बारे में विवाद भी बिना किसी सार के है।

मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) 6 सुप्रीम 382 में इसी तरह के प्रश्न की जांच की गई थी।

धारा 55 और 57 की, आवश्यकता के कथित गैर-अनुपालन के सवाल पर आते हैं हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने गवाहों के साक्ष्य का उल्लेख किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि वस्तुओं को मलखाना में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था और मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक आदेशों

के बाद रासायनिक जांच के लिए भेजा गया था और इसलिए, धारा 55 की आवश्यकता का पालन किया गया था। धारा 57 तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तारी और जब्ती की सूचना देने से संबंधित है। सबूत बताते हैं कि ऐसा ही किया गया है। हम हस्तक्षेप के लिए धारा 55 और 57 के अनुपालन के संबंध में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने शेष रूप से प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों ने लगभग 2 साल और 9 महीने की हिरासत की सजा भुगती है, और इसलिए, सजा को भुगती गई सजा में बदल दिया जाना चाहिए। हमें किए गए अपराध और बड़ी मात्रा में जब्त की गई तस्करी की वस्तुओं की गंभीरता को देखते हुए याचिका में कोई तथ्य नहीं मिला। अपील बिना किसी योग्यता के है और खारिज की जाती है।

ए के टी

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।